 <p>केन्द्रीय विद्यालय संगठन आजादी का अमृत महोत्सव</p>	<p><b>केन्द्रीय विद्यालय संगठन/KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN</b> (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय) (An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. Of India) क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़/Regional office, Chandigarh एससीओ/SCO NO. 72-73, सैक्टर 31-ए/SECTOR 31-A, चंडीगढ़/ Chandigarh Website: <a href="https://rochandigarh.kvs.gov.in/">https://rochandigarh.kvs.gov.in/</a> ई मेल/E-Mail : <a href="mailto:kvsaccschd@gmail.com">kvsaccschd@gmail.com</a> फोन/Phone: 0172-2637973 (A/cs)</p>
---	---

F.16262/KVS(CR)/CHD/2022-23 / 16285 25 16341

दिनांक :- 13.03.2023

केवल ई - मेल / स्पीड पोस्ट

✓ प्राचार्य / प्राचार्या

सभी केन्द्रीय विद्यालय,

चंडीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत

विषय: मार्च, 2023 के तीसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत के आयोजन के संबंध में ।

मैडम/सर,


केवीएस (मुख्यालय) नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ 110230(Misc)/2022-केवीएस(मुख्यालय) पी एंड आई / 2144 दिनांक 10.03.2023 पर उपरोक्त विषय पर (प्रतिलिपि संलग्न) पर आमंत्रित किया जाता है और आपको सूचित किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय ने मौजूदा नीति/दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर पेंशनरों की शिकायतों के त्वरित और त्वरित निवारण के लिए मार्च, 2023 के महीने में राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्देश दिया है ।

इस संबंध में पेंशनभोगियों की कोई शिकायत हो तो दिनांक 17.03.2023 तक ई-मेल आईडी [kvsaccschd@gmail.com](mailto:kvsaccschd@gmail.com) पर संलग्न प्रारूप में भर कर भेज सकते हैं । उपरोक्त पत्र को स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया जाता है ।

इस कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह (preferably on 23.03.2023) डिजिटल तकनीक के माध्यम से दिनांक 23.03.2023 को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा । पेंशनभोगियों शिकायतकर्ता को पेंशन अदालत में शामिल होने लिए दिनांक 21.03.2023 को लिंक दिया जाएगा ।

Encl: ऊपरोक्त अनुसार

भवदीय,



(टी. ब्रह्मानंदम)

सहायक आयुक्त &

प्रभारी उपायुक्त

Copy to:-

1. The Joint Commissioner (Finance) KVS (HQ) New Delhi for kind information.
2. P.A. to DC, KVS (RO) Chandigarh with the request to upload this letter on KVS (RO) Chandigarh website under the head "Announcement".
3. Office Record.

प्रभारी उपायुक्त

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, CHANDIGARH REGION, CHANDIGARH**

NAME OF KV :- .....

**PENSION CASE**

S.No	Name of Pensioner	Designation	PPO No.	Date of Retirement/ VR	Pension Bank Account No.	Mobile/Whatsu p No.	E.Mail ID	Gist of Grievance
1								
2								
3								
4								
5								

**FAMILY PENSION CASE**

S.No	Name of Family Pension	Name of Employee	Designation	PPO No.	Date of Death	Pension Bank Account No.	Mobile/Whatsup No.	E.Mail ID	Gist of Grievance
1									
2									
3									
4									
5									

Signature of Principal